परिपत्र संख्या-धारा-59 अनुभाग / विज्ञप्ति की व्याख्या / 2012-2013 / 75 / **1213004** / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(धारा-59 अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: **23** **अप्रैल , 2012**

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- उत्तर प्रदेश सरकार, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-3843 / ग्यारह-9 (81) / 91-उ0 प्र0 अधि0-12-2000-आदेश-(30)-2003लखनऊ दिनांक 14.08.2003 के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति का स्पष्ट किया जाना।

उत्तर प्रदेश सरकार, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-3843 / ग्यारह-9 (81) / 91-उ0 प्र0 अधि0-12-2000-आदेश- (30)-2003 लखनऊ दिनांक 14.08.2003 से किसी चमड़ा व्यापारी द्वारा किसी चर्म वस्तु निर्यात मूलक निर्माता व्यापारी को उसी रूप एवं दशा में विक्रयार्थ तैयार चमड़ा (फिनिश्ड लेदर) के उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तों के अधीन दिनांक 16.08.2003 से प्रवेश कर से छूट प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में सर्वश्री आगरा लेदर एसोसियेशन, 5 / 138, हींग की मण्डी, आगरा द्वारा यह कहा गया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा उक्त विज्ञप्ति का आशय यह निकाला जा रहा है कि प्रवेश कर से छूट तभी अनुमन्य होगी जब उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित व्यापारी ने तैयार चमड़ा की खरीद उत्तर प्रदेश के ही किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र से की हो, उत्तर प्रदेश के बाहर से न की हो। अत: उन्होंने अनुरोध किया है कि इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय ताकि फील्ड के अधिकारियों में व्याप्त भ्रम की स्थिति का निराकरण हो सके।

3. उक्त विज्ञप्ति का परीक्षण किया गया और पाया गया कि विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **"किसी चमड़ा व्यापारी द्वारा किसी चर्म वस्तु निर्यात मूलक निर्माता व्यापारी को उसी रूप एवं दशा में विक्रयार्थ तैयार चमड़ा (फिनिश्ड लेदर) के उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर, निम्न शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन कोई कर उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत नहीं किया जायगा।"**

4. उक्त विज्ञप्ति के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी है कि प्रवेश कर से मुक्ति केवल उसी दशा में अनुमन्य होगी जबकि तैयार चमड़ा उत्तर प्रदेश के ही किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र से सम्बन्धित व्यापारी के स्थानीय क्षेत्र में लाया गया हो। अत: यदि व्यापारी विज्ञप्ति में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों को पूरा करता है, तब उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत, स्थानीय क्षेत्र में माल मँगाने वाले व्यापारी के स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी भी स्थान से तैयार चमड़ा स्थानीय क्षेत्र में लाने पर प्रवेश कर से छूट अनुमन्य होगी, चाहे माल उत्तर प्रदेश के किसी स्थान से लाया गया हो या उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से लाया गया हो।

5. कृपया तदनुसार कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियेां को निर्देशित करें। साथ ही इन निर्देशों से व्यापारिक एवं अधिवक्ता संघों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

ह0/- 23.04.2012

(हिमाशुं कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।